

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ /2024, दिनांक:- 22.05 ,2024,

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्ण पीठ से सम्बन्धित अपीलों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 13 व 14.06.2024 पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ एवं श्री विवेक कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-22.05.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/548/2024, दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
- 3- वरिष्ठ सहायक(नाजिर), मुख्यालय, लखनऊ।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।